Seventeenth Loksabha

an>

Title: Need to allow postmortem during night -laid.

प्रो. एस. पी. सिंह बघेल (आगरा): अंग्रेजों के जमाने के पुलिस कानूनों एवं परम्पराओं के अनुसार हत्या एक्सीडेन्ट, दैवीय आपदा अथवा संदेहास्पद मृत्यु में जिसमें मृतक का पोस्टमार्टम अनिवार्य होता है, अधिकांश राज्यों में यह नियम है कि यदि मृतक की डेड बॉडी तथा उसके कागजात अर्थात् पंचनामा उपरान्त सायं 5 बजे तक पोस्टमार्टम गृह तक पहुंच जाते हैं तो पोस्टमार्टम उसी दिन होता है अन्यथा दूसरे दिन होता है।

रात में सामान्यतः पोस्टमार्टम नहीं होता है। यदि सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी चाहे तो परिवारजनों के निवेदन पर पुलिस की अनापत्ति प्रमाण के बाद अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए सी.एम.ओ. को उचित कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था उपलब्ध होने पर रात्रि में पोस्टमार्टम की अनुमति प्रदान कर सकते हैं। महोदय, जिस तरह रात्रि में गंभीर बीमारियों जैसे हार्ट, न्यूरो सर्जरी इत्यादि को सफलतापूर्वक किया जा रहा है, उसी तरह पोस्टमार्टम को बिना रात दिन का फर्क किए किया जा सकता है। आज के इस 21वीं शताब्दी के वैज्ञानिक युग में जब रात में क्रिकेट, टेनिस, फुटबाल आदि के इतने बड़े मैदान में लाइट उपलब्ध कराके मैच कराये जा सकते हैं तो पोस्टमार्टम क्यों नहीं।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि जनहित में उक्त पुरानी व्यवस्था को समाप्त कर रात एवं दिन का फर्क किये बिना पोस्टमार्टम व्यवस्था 24 घंटे उपलब्ध कराई जाये जिससे मृतक के परिवारजन को होने वाली समस्याओं से राहत मिल सके।